प्रतिवेदन

कार्य का नामः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से जाखणी मोटर मार्ग का नव निर्माण 2.3975 है0 सिविल वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई–4.325 कि0मी0।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से जाखणी मोटर मार्ग नव निर्माण स्वीकृति शा0सं0– संख्या 5610/पी3-14(Hab)/ यू.आर.आर.डी.ए/18 दिनांक 31/Jan/2018

इस मार्ग के निर्माण सेग्राम जाखणी के ग्रामवासियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र यातायात सेजुड़ जाऐंगे तथा इनका समग्र विकास सम्भव होगा। साथ ही ग्रामीण अपनी नकदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी, तथा उचित दाम पर बेच सकेंगे जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा ,शिक्षा में सुविधा होगी।

अतः मार्ग का समरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि मार्ग निर्माण में न्यूनतम आरक्षित वन भूमि क्षैत्र से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो, मार्ग पर पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है।

1.	वन पंचायत भूमिः–	0.00 है0।
2.	नाप भूमिः–	0.63 है0।
3.	सिविल भूमिः–	2.3975 है0।
	योगः–	**3.275 है0।**

अतः मार्ग निर्माण हेतु 2.3975 है0 सिविल वन भूमि का प्रस्ताव गठित कर लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,खण्ड
लो0नि0वि0 कार्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,खण्ड
लो0नि0वि0 कार्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,खण्ड
लो0नि0वि0 कार्णप्रयाग

Scanned by CamScanner

NOTE FOR JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

परियोजना का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से जाखणी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु लम्बाई 4.325कि0मी0।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम विजार व जाखणी की दोनो मिलाकर कुल जनसंख्या 860 है। ग्राम विजार व जाखणी की फसलें आलू, दाल, टमाटर, गोभी, मल्टा, नीम्बू, कोदा, चावल, दूध आदि को मुख्य बाजार तक ले जाने से सुविधा होगी।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा मिलेगी, वर्तमान में गांव के पुरूषों व महिलाओं को गृह उपयोगी वस्तुओं को लाने व ले जाने के लिए बाजार बहुत दूर जाना पड़ता है, जिससे की ग्राम वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमुल्य समय बचेगा एवं सुविधाऐं मिलेंगी।

मार्ग निर्माण से चिकित्सालय एवं विद्यालय खुलने के और नऐ अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही गॉव विकास की और अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोंगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस मोटर मार्ग के समरेखण पर क्षैत्रिय जनता की सहमती एवं भू—गर्भवेता द्वारा भी मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। एवं मार्ग पर वृक्षों की संख्या भी कम प्रभावित हो रही है।

नन्दप्रयाग घाट के कि0मी0 15 से जाखणी मोटर मार्ग के समरेखण को वन भूमि से ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

अतः मार्ग निर्माण जनहित में अतिआवश्यक है।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड
लो0नि0वि0,कर्णप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,
लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग

Scanned by CamScanner

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से जाखणी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु लम्बाई 4.325कि0मी0।

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद चमोली में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए यातायात का होना अति आवश्यक है, यातायात न होने के कारण इस क्षेत्र का विकास बिलकुल नहीं हो सकता है, इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए शासनादेश संख्या 5610/पी3-14(Ha b)/यू.आर.आर.डी.ए/2018 दिनांक 31/Jan/2018 द्वारा 2.3975 कि0मी0 मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई है। इस क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि उत्पादन एवं पशुपालन है, यहां के लोगों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मीलों दूर पैदल चलकर सामान पीठ पर तथा घोड़ों पर ढ़ोना पड़ता है। जिसमें अनावश्यक समय नष्ट हो जाता है।

मोटर मार्ग बनने व यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जाने से इस क्षेत्र में पैदा होने वाली कृषि उपज को नजदीकी बाजारों में पहुँचाने पर कृषकों को अच्छे दाम मिलेंगे जिससे स्थानीय जनता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर जीवन स्तर पर जीवन स्तर में वृद्वि के फलस्वरूप सामाजिक स्तर में सुधार आएगा। इस क्षेत्र में आलू व चौलाई की नकदी फसलों का उत्पादन होता है। यातायात होने पर इस कृषि उत्पादन को बाजार में सही समय पर लाने पर रोजगार के अच्छे साधन भी उपलब्ध होगें। साथ ही स्थानीय श्रमिकों को रोजगार हेतु अन्यत्र जाने की सुविधा होगी, जिससे रोजगार में वृद्वि होने की सम्भावना है। साथ ही पलायन में भी अंकुश लगेगा। मार्ग का निर्माण ऐसे स्थानों से किया जा रहा जहां पर वन सम्पदा/वृक्षों को न्यूनतम क्षति पहुँच रही है।

मार्ग निर्माण से स्थानीय वनों व वन्य जीवों की सुरक्षा वृक्षारोपण बचाव आदि कार्य में सुविधा होगी। आसानी से सुदूर वन क्षेत्रों के नजदीक पहुच कर निरीक्षण में होने वाली दिक्कते दूर होगी। मार्ग निर्माण होने से जनता को रसोई गैस आदि इंधन सामग्री आसानी से घर तक पहुचाने के फलस्वरूप जलाउ लकड़ी का प्रयोग कम होगा, जिससे स्थानीय वनों का कटान कम होने की पूर्ण सम्भावना है, और पर्यावरण को सीधा फायदा होगा।

अतः मार्ग का निर्माण स्थानीय जनता की सुविधा एवं पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयुक्त होने से यातायात का होना आवश्यक है।

कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई,खण्ड लो0नि0वि0,कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई,खण्ड लो0नि0वि0,कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड, लो0नि0वि0,कर्णप्रयाग

Scanned by CamScanner